


22-2-21

~~जुद्धीगम के वकील उप-1~~
~~किजुद्धीगम के वकील उप-1~~
 जजिन - पत्र को अधिनिक रूप के
 स्वीकार कर कानदेश कलगा के
 लिखाना जात आकिल उचित
 है। पञ्जाबली नेकतकी कीपालना
 रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रेश हो
 राना लिखने के बाद वकील भी
 कानस्थित कोलकी उप दिपत्र इर।
 पञ्जाबली जवाब दे ड ककल-पाठ,
 है जो दिना जात है। पञ्जाबली
 कानदेश दिना 26.02.2021 के
 जवाब प्रेश हो


 उप जज अधिकारी
 (S.D.O.) गल्लाना


26-2-21

~~व कुलाप फरीके न उप-1~~
~~किजुद्धी के. 09 को ओर के जवाब प्रेश~~
~~नहीं किया गया है, किशाना~~
 कानदेश दिना 22-2-2021 के कानदेश
 जारी हो



मणजली वार्ड मालवा ठीकोई यात्र

दो न पर फेरा छो


का सिंह अधिकारी
(S.O.O.) मालवा